DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times ---------------------------------------DATED- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 21 दिसंबर 2023

Will shut you down: HC warns Delhi forest dept

Shruti Kakkar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court came down heavily on the forest department on Wednesday and directed it to remove concrete constructions surrounding trees in the Bikaji Cama Place complex immediately, warning the department that it would be "shut down" in case of non-compliance with the court's orders.

Questioning the construction of an enclosed platform (chabutra) around the trees on the footpath — which was done for "beautification purposes" — the court observed that the enclosure restricted the movement of pedestrians as well.

"...this is a footpath and you put concrete structure on the footpath. What is happening? I'll shut down your department (forest). You're too incompetent. What is this beautification? What is this aesthetic? This is not going in the right direction. I don't know whether you need to regij your department...," justice Jasmeet Singh told advocate Jawahar Raja, who appeared for the forest department.

Justice Singh added, "On pavements you make structures. It is for trees and it is for movement. I'm sure, some balance can be struck. How do you address this promptly after 50 days? This is not going in the right direction. This is painful."

The court warning came over concrete structures around trees in south Delhi's Bhikaji Cama Place Complex. RAJ K RAJ/HT PHOTO

The court was considering a plea filed by Aditya N Prasad seeking to initiate contempt against the Delhi Development Authority (DDA) and the forest department for failing to comply with its 2020 orders directing to set up a helpline and a website (to ease the process of lodging complaints regarding damage to trees), mandating a one-metre space around trees and prohibiting construction activity around them. The court also directed the deputy conservator of forest to file a detailed affidavit on the extent of the violations and the remedial measures regarding the protection of trees.

'पेड़ों के आसपास से कंक्रीट हटाएं'

नई दिल्ली (व.सं)। हाईकोर्ट ने बुधवार को भीकाजी कामा प्लेस परिसर में डीडीए अधिकारियों को पेड़ों के आसपास से कंक्रीट हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ऐसे सौंदर्यीकरण के पीछे के उद्देश्य पर भी सवाल उठाए।

न्यायमूर्ति ने पेड़ों के कंक्रीटीकरण के संबंध में डीडीए और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि उन्हें अगस्त में पता चला था कि भीकाजी कामा प्लेस कॉम्प्लेक्स में पेड़ों के चारों ओर चबूतरा बनाया जा रहा है।

डीडीए के लग्जरी फ्लैट की ई-नीलामी पांच जनवरी से

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दो हजार से अधिक लग्जरी फ्लैट के लिए पंजीकरण शुरू किया है। 29 दिसंबर तक पंजीकरण कराएं। जानकारी के लिए 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। इन फ्लैटों की बिक्री ई–नीलामी के जरिये पांच जनवरी से शुरू होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, DECEMBER 21, 2023 -DATED---

HC pulls up forest dept, directs it to remove concrete around trees

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Wednesday ordered the authorities to immediately remove concrete around trees at Bhikaji Cama Place Complex and questioned the rationale behind such "beautification."

"I will shut your department. You are totally incompetent. How do you address this promptly when there is a delay of 50 days? You need to rejig the department, this is painful," Justice Jasmeet Singh told the forest department's counsel, while hearing a contempt plea over the concretisation of the trees and failure to take prompt action on a complaint regarding the damage caused to the trees.

The court issued notice to both Delhi Development Authority and the forest department on the plea, filed by petitioner Aditya N Prasad.

Prasad said he learnt in August that an enclosed platform (chabutara) was being constructed around the standing trees in Bhikaji Cama Place Complex by DDA for "beautification" purposes.

Wondering what type of "beatification is this?" the court underlined that the area was meant for trees. "On pavement you make concrete structures? It is for trees. You are restricting movement. What is the point?" HC said, asking the forest department to file a detailed response as to why no prompt action was taken by its officials against the concretisation to protect the trees even after a complaint was made.

The court also directed the conservator of forests to submit a status report on the extent of violations of the order pertaining to concretisation of trees and remedial measures undertaken.

Prasad alleged there was also wilful disobedience of the high court's directions to the forest department to set up a telephone helpline and website where citizens can lodge complaints about damage to trees and specifically described the manner in which "prompt" action is to be taken once the complaint has been received. He submitted that despite a complaint having been made, the construction work continued, and no preventive measures were taken.

95% eligible open-air eateries issued health trade licences: MCD

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Municipal Corporation of Delhi claims to have issued health trade licences to 95% eligible candidates for running open-air eateries.

"We started inviting applications under the new open-air restaurant policy in November 2022, and at least 200 people have registered and obtained these. Except for a few which discontinued the operation for various reasons, the rest are operating the restaurants successfully," an MCD official said.

The civic body issued an order on November 3, 2022, allowing applications by restaurants and eateries to start open-air dining on terraces and open spaces attached to existing dining areas. In order to ensure there is no violation of norms, there are 125 inspectors engaged by the MCD on the ground.

MCD officials, however, said they were facing a problem regarding dining facilities or restaurants in DDA markets or complexes where there are violations.

"Usually, no open space is provided at the front of shops in DDA complexes and they are uniformly designed. Allowing the eateries in common areas or walkways is impractical. The department doesn't provide NoC for running the open-air dining in those cases. Ideally, the open space should be within the plot limit," the official said.

According to the policy for open-air restaurants, there won't be any requirement for a separate no-objection certificate (NOC) from the fire department for running and establishments having an area of 90 square metres and if they already have a fire department NOC.

The public health department is also debating on issuing health trade licenses in case of fashion shows, exhibitions and amusement parks.

"There is no policy for a licence in this sector and a debate is on whether fashion shows and exhibitions fall in the category of entertainment or promotion.... We are considering levying taxes on amusement parks," the official said.

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2023

डूब क्षेत्र में स्थायी अतिक्रमण से इन्कार

- डीपीसीसी ने स्थायी अतिक्रमण की बात से इन्कार करते हुए कहा कि निरीक्षण में कुछ गायें मिली थीं
- कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने अवैध डेयरी संचालन व चिकित्सकीय अपशिष्ट बहाने की शिकायत की है
- मयूर विहार समेत कई हिस्सों में यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध डेरियां चलने की शिकायत की गई है

यमुना बाढ़ क्षेत्र में संचालित अवैध डेरी में पड़े चिकित्सकीय अपशिष्ट ● सौः आवेदक

याचिकाकर्ता द्वारा एनजीटी में पेश की गई रिपोर्ट के साथ दी गई तस्वीर में यमुना डूब क्षेत्र में अवैध डेरी दिखाई दे रही है ● सौजन्यः आवेदनकर्ता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: डेरियों द्वारा यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण व चिकित्सकीय अपशिष्ट के डंप करने के संबंध में पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में जवाब दाखिल किया है। डीपीसीसी ने स्थायी अतिक्रमण की बात से इन्कार करते हुए कहा कि संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान कुछ गायें मौके पर मिली थीं। अतिक्रमण पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को कार्रवाई करनी है।

डीपीसीसी की रिपोर्ट को देखने के बाद न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व पर्यावरण सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने आवेदनकर्ता गौरी मौलेखी को जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है। गौरी ने अधिवक्ता ईशा दत्ता व शालिनी अग्रवाल के माध्यम से एक रिपोर्ट दाखिल की है। उन्होंने फोटो के साथ दाखिल रिपोर्ट में कहा कि मयूर विहार समेत शहर के कई हिस्सों में यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध डेरियां चल रही हैं।

यह भी पाया है कि डेरियों के बगल से बहने वाली कई नालियां ठोस, प्लास्टिक और बायोमेडिकल कचरे से भरी हुई हैं। मौके पर पड़े दूध के कनस्तर और चिकित्सकीय कचरे को तस्वीरों में देखा जा सकता है। गौरी मौलेखी ने याचिका दायर कर यमुना डूब क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली डेरियों के संचालन का आरोप लगाया था। यह भी आरोप लगाया था कि इस क्षेत्र में 60 से अधिक अवैध डेरी संचालित हो रही हैं।

वहीं, एनजीटी द्वारा गठित की गई डीपीसीसी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और पशुपालन विभाग की एक संयुक्त समिति ने निरीक्षण कर दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि मूल आवेदन में उल्लिखित स्थलों पर डेयरी फार्म की कोई स्थायी संरचना नहीं पाई गई। हालांकि, ग्राम चक चिलिया (मयूर नेचर पार्क) में डीडीए की भूमि पर 15 अतिक्रमण आश्रय (अस्थायी) पाए गए। इस स्थान का प्रयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2023 DATED------------------------

अनधिकृत कालोनियों में व्यावसायिक संपत्तियों का मालिकाना हक लोगों को नहीं दिया जाएगा

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- पीएम उदय सेल की ओर से एक पत्र के जवाब में इसे स्पष्ट किया गया
- एमसीडी के पूर्व मनोनीत सदस्य हरिकिशन जिंदल ने लिखा था पत्र

भले ही दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग और तोड़फोड़ से राहत संबधी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया हो, लेकिन मालिकाना हक अभी भी 1731 अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले सभी निवासियों को नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री केवल उन्हीं संपत्तियों की होगी, जिनका उपयोग आवासीय है।

गौरतलब है कि इन अनधिकृत कालोनियों में करीब 40 लाख की आबादी रहती है, लेकिन एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है, जो अपनी संपत्ति में कोई न कोई व्यावसायिक गतिविधि चला रहे हैं। इनमें दुकान और दफ्तर सभी शामिल है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मालिकाना हक के लिए ऐसी संपत्तियों के आवेदनों को स्वीकृति नहीं दे रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मनोनीत सदस्य हरिकिशन जिंदल ने इस मुद्दे को लेकर डीडीए उपाध्यक्ष सहित एलजी वीके सक्सेना और पीएम नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पीएम उदय योजना के इस अस्पष्ट पहलू को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और साथ ही इन कालोनियों में रोजगार कर रहे लोगों को भी मालिकाना हक देने की अपील की, लेकिन डीडीए ने इसके पीछे कानूनी और तकनीकी अड़चन का हवाला दिया है। पीएम उदय सेल (मुख्यालय-दो) के उप निदेशक अंकित सिंह ने इस पत्र के जवाब में गत सप्ताह ही यह साफ किया है कि मालिकाना हक केवल रिहायशी इकाइयों के लिए है। उन्होंने लिखा है कि नेशनल कैपिटल टेरेटरी आफ दिल्ली (रेकग्निशन आफ प्रापर्टी राइट्स आफ रेसिडेंट्स इन अनआथोराइजेड कालोनीज) रेगुलेशन 2019 की क्लाज पांच (10) के तहत कन्वेंस डीड उसी संपत्ति को जारी किए जाने का प्रविधान है, जो आवासीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रही है।

जानकारों की मानें तो इसी वजह से चार साल में भी 40 लाख की आबादी में से 40 हजार लोग भी अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवा सके हैं। मालिकाना हक दिया ही जा रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि संपत्ति में लोग सिर्फ रह रहे हैं या फिर रोजगार कर रहे हैं।

'पेड़ों के आसपास जमीन पक्का कर सुंदरीकरण का क्या औचित्य है'

शिकायत के बावजूद पेड़ों के आसपास जमीन पक्का करने के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्लीः भीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ों के आसपास कंक्रीट को तुरंत हटाने का आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह के "सुंदरीकरण" के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पूछा कि यह कैसा सुंदरीकरण है कि फुटपाथ पर कंक्रीट संरचनाएं बनाकर आवाजाही अवरुद्ध की जा रही हैं, इसका औचित्य ही क्या है?

एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वन विभाग को मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत के बाद भी पेड़ों की सुरक्षा के नाम पर हुए कंक्रीटीकरण के खिलाफ अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत कंक्रीटीकरण और उससे पेड़ों को हुए नुकसान के संबंध में एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने में विफलता के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि उन्हें अगस्त में पता चला कि डीडीए की ओर से सुंदरीकरण के लिए भीकाजी कामा प्लेस काम्प्लेक्स में लगे पेड़ों के चारों ओर चबूतरा बनाया जा रहा है। इस पर पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मौखिक टिप्पणी की कि आपका विभाग बंद कर दिया जाएगा। आप पूरी तरह से अक्षम हैं। अदालत ने आदेश दिया वन विभाग और डीडीए को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ों के आसपास का कंक्रीट तुरंत हटा दिया जाए। अदालत ने वन संरक्षक को पेड़ों के आसपास कंक्रीटीकरण और उपचारात्मक उपायों से संबंधित आदेश के उल्लंघन पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

21 दिसम्बर • 2023 राष्ट्रीय सहारा

भीकाजी कामा प्लेस के पेड़ों के आसपास से तुरंत हटाएं कंक्रीट : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से भीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ों के आसपास डाले गए कंक्रीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। उसने इस तरह के सौंदर्यीकरण के पीछे के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही इसकी शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दी है।

शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई न करने पर अदालत ने अफसरों को लगाई फटकार

याचिकाकर्ता आदित्य एन. प्रसाद ने कहा कि उन्हें अगस्त में पता चला कि डीडीए ने सौंदर्यीकरण को लेकर भीकाजी कामा प्लेस कांप्लेक्स में खड़े पेड़ों के चारों ओर चबूतरा बना रहा है। उसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान पूछा कि यह सौंदर्यीकरण क्या है? फुटपाथ पर आप कंक्रीट संरचनाएं बनाते हैं? यह पेड़ों के लिए है। आप आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने वन विभाग के वकील से इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही बताने को कहा कि शिकायत के बाद भी पेड़ों की रक्षा के लिए क्यों नहीं अधिकारियों ने कदम उठाए। कंक्रीट को क्यों नहीं हटाया गया।

न्यायमूर्ति ने अधिकारियों से कहा कि आप पूरी तरह से असक्षम हैं। यह सही दिशा में नहीं जा रहा है। यह काफी परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ों के आसपास के कंक्रीट को तुरंत हटा दिया जाए।

इस मुद्दे पर वन संरक्षक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि पेड़ों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदेश है कि पेड़ों के तने के चारों ओर एक मीटर खुली जगह होनी चाहिए। इसके आसपास कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन उन आदेशों का जानबूझकर अवहेलना किया गया है।

millenniumpost
THURSDAY, 21 DECEMBER, 2023 | NEW DELHI

HC: Remove concrete around trees at Bhikaji Cama Place

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court on Wednesday asked the authorities here to immediately remove the concrete around trees in Bhikaji Cama Place Complex and questioned the rationale behind such "beautification".

Justice Jasmeet Singh issued notice to the Delhi Development Authority (DDA) and forest department officials on a contempt plea over the concretisation of the trees and the failure to take prompt action on a complaint regarding the damage caused to the trees.

Petitioner Aditya N Prasad said he learnt in August that an enclosed platform (chabutara) was being constructed around the standing trees in the Bhikaji Cama Place Complex by the DDA for "beautification" purposes. "What is this beautification? On pavement you make concrete structures? It is for trees. You are restricting movement. What is the point?" Justice Singh asked during the hearing.

पंजाब केसरी
DELHI

हाईकोर्ट ने पेड़ों के आसपास से कंक्रीट हटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ों के आसपास कंक्रीट के जरिए सौंदर्यीकरण के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पेड़ों के कंक्रीटीकरण और पेड़ों को हुए नुकसान के संबंध में एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने में विफलता पर अवमानना याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें अगस्त में पता चला कि डीडीए द्वारा "सौंदर्यीकरण' उद्देश्यों के लिए भीकाजी कामा प्लेस कॉम्प्लेक्स में खड़े पेड़ों के चारों ओर एक संलग्न मंच (चबूतरा) का निर्माण किया जा रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह कैसा सौंदर्यीकरण है? फुटपाथ पर आप कंक्रीट संरचनाएं बनाते हैं? यह पेड़ों के लिए है। आप आवाजाही को प्रतिबंधित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शिकायत के बाद भी पेड़ों की सुरक्षा के लिए कंक्रीटीकरण के खिलाफ उसके अधिकारियों द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

अमर उजाला

पेड़ों के आसपास से कंक्रीट हटाएं अधिकारी : हाईकोर्ट

अवमानना याचिका पर डीडीए और वन विभाग को नोटिस

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बुधवार को डीडीए और वन विभाग के अधिकारियों को भीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ों के आसपास बने कंक्रीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस तरह के सौंदर्यीकरण के औचित्य पर सवाल उठाया है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पेड़ों के कंक्रीटीकरण से हुए नुकसान के संबंध में एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने में विफलता पर अवमानना याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि उन्हें अगस्त में पता चला कि डीडीए द्वारा सौंदर्यीकरण उद्देश्यों के लिए भीकाजी कामा प्लेस कॉम्प्लेक्स में खड़े पेड़ों के चारों ओर एक संलग्न मंच (चबूतरा) का निर्माण किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान पूछा यह सौंदर्यीकरण क्या है? फुटपाथ पर आप कंक्रीट की संरचनाएं बनाते हैं? यह पेड़ों के लिए है। आप आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या बात है? अदालत ने वन विभाग के वकील से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा कि शिकायत के बाद भी पेड़ों की रक्षा के लिए कंक्रीटीकरण के खिलाफ उसके अधिकारियों द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millennium post
NEW DELHI | THURSDAY, 21 DECEMBER, 2023

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

21/12/2023

पंजाब केसरी
DELHI